

कार्यालय प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक बालोद
(कैम्पस-शासकीय पॉलीटेक्निक धमतरी), धमतरी-493776(छ.ग.)
ई मेल : govtpolybalod@gmail.com

सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 04 की उपधारा (1) (ख) के अनुसार विभाग से संबंधित जानकारियां

(1) संस्था की विशिष्टियाँ, कृतय और कर्तव्य :

शासकीय पॉलीटेक्निक बालोद, छ0ग0 शासन , तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर के अधीन, संचालक तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से समस्त प्रशासनिक नियंत्रण में तीन वर्षीय पत्रोपाधि पाठ्यक्रम संचालित करती है। इस संस्था का स्थापना वर्ष 2017 है।

वर्तमान में सिविल, इलेक्ट्रिकल एवं माईनिंग एण्ड माइन सर्वेइंग (प्रत्येक में प्रवेश क्षमता 60) में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है। समस्त अकादमिक गतिविधियों जैसे पाठ्यक्रम, परीक्षा आदि का संचालन एवं नियंत्रण विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन है।

संस्था में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास का कार्य करती है।

(2) अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां :

तकनीकी शिक्षा के गुणवत्तायुक्त विकास, समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

1. संस्था का प्रशासकीय नियंत्रण।
2. संचालनालय द्वारा राज्य स्तर पर केन्द्रीयकृत ऑन-लाइन काउंसिलिंग के द्वारा संस्था में प्रवेश देने की प्रक्रिया।
3. शैक्षणिक कार्यों का संपादन।
4. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के अधीन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम की समस्त शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण।
5. मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन।

(3) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है :-

1. सेक्सन लिपिक → लेखापाल → मुख्यलिपिक → प्राचार्य
2. व्याख्याता → विभागाध्यक्ष → प्राचार्य

(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान:-

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का पूर्णतः अनुपालन करना।
2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन।
3. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई द्वारा 03 वर्षीय पत्रोपाधि पाठ्यक्रम हेतु अध्यादेश (17) के तहत निर्धारित नियमों/ मानदण्डों का अनुपालन।

(5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख :-

1. छ0ग0 शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार।
2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली के निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन।
3. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई द्वारा निर्धारित नियम।

(6) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण:-

– सस्था के समस्त सेक्शन में संधारित अभिलेख ।

(7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है:

– शासन/संचालनालय के निर्देशों के अनुरूप।

(8) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उनके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण:-

शासन के नियमानुसार छात्र-छात्राओं द्वारा प्रवेश के समय शासन द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाता है। संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की शिकायत पर "एन्टी रैगिंग" समिति द्वारा शिकायतों का निराकरण किया जाता है। विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु समुचित समितियाँ गठित की गयी हैं।

(9) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका :-

क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाइल नम्बर
1.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार सिंह	(प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष- इलेक्ट्रिकल)	7999012934
2.	श्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा	(वरिष्ठ व्याख्याता-माइनिंग एण्ड माइन सर्वेइंग)	7987897912
3.	श्री पंकज कुमार साहू	अंशकालीन व्याख्याता (सिविल)	7804940612
4.	श्री विवेक कुमार	अंशकालीन व्याख्याता (सिविल)	8839599493
5.	श्री विवेक राय	अंशकालीन व्याख्याता (सिविल)	7987408031
6.	कु. सुनिधि राजहंस	अंशकालीन व्याख्याता (सिविल)	9406317399
7.	श्री झालेन्द्र कुमार	अंशकालीन व्याख्याता (माइनिंग)	7610401422
8.	श्री जीतराज साहू	अंशकालीन व्याख्याता (माइनिंग)	9827183403
9.	श्री लोकेश्वर पटेल	अंशकालीन व्याख्याता (माइनिंग)	7477210411
10.	श्री दीपक राज गगंबेर	अंशकालीन व्याख्याता (इलेक्ट्रिकल)	8770799143
11.	कु. खेमप्रभा सिन्हा	अंशकालीन व्याख्याता (इलेक्ट्रिकल)	8435551018
12.	कु. पूनम साहू	अंशकालीन व्याख्याता (इलेक्ट्रिकल)	9907788066
13.	कु. शिवानी वार्डे	अंशकालीन व्याख्याता (इलेक्ट्रिकल)	8234924763
14.	श्री अमूल जाचक	अंशकालीन व्याख्याता (मेकेनिकल)	8770146544
15.	श्री संदीप सोनवाने	अंशकालीन व्याख्याता (मेकेनिकल)	7746908829
16.	श्री फैजान अहमद	अंशकालीन व्याख्याता (गणित)	7987350174
17.	कु. विनिता साहू	अंशकालीन व्याख्याता (कम्प्युटर साइंस)	7000186369
18.	कु. अंशुलिका पाल	अंशकालीन व्याख्याता (अंग्रेजी)	7000430944

19.	कु. ऐश्वर्या साहू	अंशकालीन व्याख्याता (रसायन)	9111385441
20.	श्री निर्भय कुमार	कलेक्टर दर पर कार्यरत	
21.	श्री विनय गजबीये	कलेक्टर दर पर कार्यरत	
22.	त्रिलोक नेताम	कलेक्टर दर पर कार्यरत	

(10) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अतंगत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो :-

संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन एवं लेवल			
क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	ग्रास वेतन
1.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार सिंह	(प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष- इलेक्ट्रिकल)	208391 (13 A1)
2.	श्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा	(वरिष्ठ व्याख्याता- माईनिंग एण्ड माइन सर्वेइंग)	234552 (13 A1)
3.	अन्य शैक्षणिक	अंशकालीन व्याख्याता	300 रु. प्रति पीरियड (अधिकतम 21000 माह)

(11) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियों उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट:-

वर्ष 2021-22 हेतु आबंटित बजट (राशि रूपयों)			
क्र.	योजना/कार्यक्रम/सेक्टर	प्राप्त आबंटन (लाख में)	व्यय
1.	वेतन भत्ते आदि	50.00	
2.	महगाई भत्ता	5.00	
2.	मकान किराया भत्ता	1.25	
3.	अन्य भत्ते	0.10	
4.	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0.10	
5.	मजदुरी	3.00	
6.	यात्रा भत्ता	0.30	
7.	कार्यालय व्यय	1.90	
8.	प्रशिक्षण	0.20	
9.	व्यसायिक सेवाओं हेतु अदायगिया सुरक्षा व्यय	1.50	
10.	छात्रवृत्तियाँ, वृत्तियाँ एवं अन्य हितलाभ (संबद्धता शुल्क)	0.40	
11.	अनुरक्षण कार्य मशीन तथा उपकरण	0.20	
12.	सामग्री और पूर्तियां	0.15	
13.	अन्य व्यय	0.20	
14.	औजार एवं संयंत्र	0.10	

15.	कोचिंग प्रतियोगिताएं (खेलकुद)	0.10	
16.	ड्राईंग सामग्री का प्रदाय	1.20	
17.	बुक बैंक की स्थापना	0.20	
18.	विशेष कोचिंग कक्षाएं	0.50	

(12) सहायिकी कार्यक्रम के निष्पादन की रीती जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रम के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं :-

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना : तकनीकी एवं व्यापक पाठ्यक्रम में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के शिक्षार्थियों को बैंको द्वारा ली जाने वाली ब्याज पद के भार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा मोरेटोरियम अवधि के उपरान्त ली जाने वाली ब्याज राशि में अनुदान देने की वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ की गई है।

(13) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या अधिकारी के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियाँ :

ट्यूशन फी वेवर स्कीम : यह योजना सत्र 2007-02 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत ब्रांचवार स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें फी वेवर सीटें हैं। मेरिट के आधार पर इन सीटों पर प्रवेशित छात्र-छात्राओं के पालक/अभिभावक की समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय 4.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेरिट का आधार प्रवेश परीक्षा का रैंक है।

(14) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों -

वेब साईट cgdteraipur.cgsatae.gov.in या www.polybalod.ac.in पर उपलब्ध है।

(15) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचक कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण सम्मिलित है। :

- निरंक

(16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ :-

स.क्र.	लेक सूचना अधिकारी नाम	पदनाम	दूरभाष
1.	डॉ. सुरेन्द्र कुमार सिंह	जन सूचना अधिकारी	7999012934
2.	-	सहायक जन सूचना अधिकारी	-
3.	-	प्रभारी लिपिक (सूचना का अधिकार)	-

(17) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए : विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

1. संस्था में विषयवार प्रवेश क्षमता ए.आई.सी.टी.ई. के अनुसार एवं शैक्षणिक सत्र 2020-21 की स्थिति

क्र.	विषय का नाम	प्रवेश क्षमता
1.	सिविल इंजी0	60
2.	इलेक्ट्रिकल इंजी0	60
3.	माईनिंग एण्ड माइन सर्वेइंग इंजी0	60
कुल		180

2. राष्ट्रीय सेवा योजना : नियमित स्टॉफ के अभाव में वर्तमान में राष्ट्रीय सेवा योजना गठित नहीं है।

3. पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु संचालित स्कॉलरशीप योजनायें –

छात्रवृत्तियाँ :

संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए मेरिट स्कॉलरशिप मेरिट कम मीन्स बी.पी.एल. पोस्ट मैट्रिक निःशक्त जन अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है।

अन्य पिछडा वर्ग के छात्र-छात्राओं को सुविधायें :

अन्य पिछडा वर्ग के ऐसे छात्रों को जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रु. या उससे कम हो, शिक्षण शुल्क में पूरी छुट दी जाती है।

बी.पी.एल. छात्रवृत्ति सुविधायें :

संस्था में अध्ययनरत प्रत्येक बी.पी.एल. विद्यार्थी को राशि रु. 500.00 दिये जाने का प्रवधान है

छात्राओं के लिए शुल्क माफ :

संस्था में प्रवेशित छात्राओं को शिक्षण शुल्क माफ किया गया है।

सुचना का अधिकार :

सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 संस्था में लागू है। इस संस्था में इससे संबंधित प्रकरण निरंक है।

खेल-कुद एवं साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ :

छात्र-छात्राओं हेतु समय-समय पर खेल-कुद, साहित्यिक/सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन का सर्वांगीण विकास का प्रयत्न किया जाता है। विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में छात्र-छात्राओं उल्लेखनीय उपलब्धियाँ आर्जित करते हैं।

विभाग/संस्था में संचालित योजनायें :-

1. एस.सी./एस.टी. के छात्र-छात्राओं को स्टेशनरी हेतु विशेष कोचिंग कक्षाओं का संचालन।
2. एस.सी./एस.टी. के छात्र-छात्राओं को स्टेशनरी एवं ड्रइंग सामग्री का प्रदाय ।
3. एस.सी./एस.टी. के छात्र-छात्राओं हेतु बुक-बैंक योजनाओं के तहत पुस्तकों की पृथक व्यवस्था।
4. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत छात्र-छात्राओं को बैंक द्वारा शिक्षा लोन की योजना।